

16²/₂₃

पत्रावली पेश हुई। परोकार सरकार उप0। रामवतार पुत्र ऊंकार जाति बैरवा निवासी गण्डायता तहसील खण्डार ने पूर्व में जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि उनवानी प्रकरण में प्रार्थीया कमला की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस पुत्र रामवतार को प्रार्थीया का वारिस बनाया जावे। जिसके क्रम में तहसीलदार खण्डार को पत्रांक 1144 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा अप्रार्थी कमला के विधिक वारिसान की जांच कर उसके कायम मुकाम की सूचना मय संशोधित टाईटल भिजवाने हेतु लिखा गया था किन्तु आदिनांक तक तहसीलदार खण्डार द्वारा उक्त कायम मुकाम की सूचना नहीं भिजवायी गई है। अतः उनवानी प्रकरण तहसीलदार खण्डार को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतका के विधिक वारिसान की जांच कर वारिसान के विरुद्ध पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

१६

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

